

अनुदान संख्या 32 - आर्थिक कार्य विभाग
GRANT No. 32 - DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत-	Voted -			
मूल	Original	6821,08,00		
		6845,63,00	6171,07,59	-674,55,41
पूरक	Supplementary	24,55,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			518,15,21
पूंजीगत:	Capital :			
स्वीकृत-	Voted -			
मूल	Original	1850,40,00		
		13177,56,00	10725,88,55	-2451,67,45
पूरक	Supplementary	11327,16,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			19,30

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹67455.41 लाख) अगस्त, 2010 और मार्च, 2011 में प्राप्त किए गए ₹2455.00 लाख के पूरक अनुदानों से अधिक हो गईं और ये कुल स्वीकृत प्रावधान का 10 प्रतिशत थीं।

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹67455.41 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹2455.00 lakhs obtained in August, 2010 and March, 2011 and constituted 10 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2052"	Major Head "2052"			
सचिवालय - सामान्य सेवाएं	Secretariat-General Services			
मू.	O.	7037.00		
पू.	S.	2.00	7333.06	7137.10
पु.	R.	294.06		-195.96

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय + Excess + बचत- Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2416" कृषि वित्तीय संस्थाएं	Major Head "2416" Agricultural Financial Institutions			
मू.	O. 4000.00	3552.00	3552.00	..
पु.	R. -448.00			
मुख्य शीर्ष "3054" सड़क तथा सेतु	Major Head "3054" Roads and Bridges			
मू.	O. 175346.00	186562.00	186562.00	..
पू.	S. 1.00			
पु.	R. 11215.00			
मुख्य शीर्ष "3075" अन्य परिवहन सेवाएं	Major Head "3075" Other Transport Services			
मु.	O. 342988.00	280086.69	264764.04	-15322.65
पु.	R. -62901.31			
मुख्य शीर्ष "3466" अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं	Major Head "3466" International Financial Institutions			
मु.	O. 1569.00	957.15	902.33	-54.82
पू.	S. 2.00			
पु.	R. -613.85			
मुख्य शीर्ष "3475" अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Major Head "3475" Other General Economic Services			
मू.	O. 15397.00	18910.49	18960.35	+49.86
पू.	S. 2450.00			
पु.	R. 1063.49			

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
मुख्य शीर्ष "3605"	Major Head "3605"			
अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग	Technical and Economic Co-operation with Other Countries			
मू.	O	4207.00		
			3802.45	3757.17
				-45.28
पु.	R.	-404.55		

(I) ₹240.00 लाख का प्रावधान आठ शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹219.00 लाख विनिमय दर वैभिन्य तथा अनुमानित और वास्तविक भुगतान में विभेद और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को किए जाने वाले निर्धारण प्रभारों के संबंध में एसडीआर की तुलना में रुपए की प्रतिनिधित्व दर में परिवर्तन के कारण अकेले मुख्य शीर्ष "3466" - "अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष - अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को अदा किए गए निर्धारण प्रभारों" के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹240.00 lakhs remained wholly unutilised under eight heads; of these ₹219.00 lakhs alone accounted for under Major Head "3466" - "International Monetary Fund - Assessment Charges paid to International Monetary Fund" - due to exchange rate variation and difference in estimated and actual payment and change in the representative rate of rupees vis-à-vis SDR in respect of assessment charges to IMF.

(II) मुख्य शीर्ष "2052" - "सचिवालय - जी-20 सचिवालय" के अंतर्गत ₹458.59 लाख की बचत (₹633.40 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पदों के न भरे जाने, कार्यालय की जगह को पट्टे पर देने और कार्यालय संबंधी आनुषंगिक सूचना को अंतिम रूप न दिए जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "2052"- "Secretariat - G-20 Secretariat" - saving of ₹458.59 lakhs (against the sanctioned provision of ₹633.40 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-finalisation of leasing of office accommodation and consequential information of office and economy measures.

(III) मुख्य शीर्ष "2416" - "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग - कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय निधि को अंशदान" के अंतर्गत ₹448.00 लाख की बचत (₹4000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विनियम दर वैभिन्य और आईएफएडी की कम आवश्यकता होने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "2416"- "International Cooperation - Contribution to International Fund for Agricultural Development" - saving of ₹448.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4000.00 lakhs) was due to exchange rate variation and less requirement of IFAD.

(IV) मुख्य शीर्ष "3075" - "अन्य - लाभांश राहत के लिए रेलवे को आर्थिक सहायता - रेलवे को भुगतान" के अंतर्गत ₹81661.68 लाख की बचत (₹282988.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रेलवे कन्वेंशन समिति द्वारा लाभांश की संशोधित दरों की सिफारिश किए जाने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "3075 "Others - Subsidy to Railways towards dividend relief-Payment to Railways" - saving of ₹81661.68 lakhs (against the sanctioned provision of ₹282988.00 lakhs) was due to revised rates of dividend recommended by the Railway Convention Committee (RCC).

(V) मुख्य शीर्ष “3466” - “पीपीए के अंतर्गत विश्व बैंक परियोजना” के अंतर्गत ₹1147.20 लाख की बचत (₹1250.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विनिमय दर वैभिन्न्य और पीपीए के अंतर्गत विश्व बैंक परियोजना के आंशिक कार्यान्वयन के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष “3475” - “अन्य व्यय - भारतीय निर्यात-आयात बैंक को ब्याज समकरण सहायता” के अंतर्गत ₹229.66 लाख की बचत (₹12999.98 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय निर्यात-आयात बैंक से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(VII) मुख्य शीर्ष “3605” - “अन्य देशों के साथ सहयोग - कोलंबो योजना के अंतर्गत दक्षिण और दक्षिण - पूर्व एशिया को तकनीकी सहायता” के अंतर्गत ₹258.63 लाख की बचत (₹845.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोलम्बो योजना स्कीम विदेश मंत्रालय को स्थानांतरित हो जाने के कारण हुई।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹12504.01 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹4.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था :-

(का) मुख्य शीर्ष “2052” - “सचिवालय - आर्थिक कार्य विभाग” - ₹572.01 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹540.22 लाख था।

(खा) मुख्य शीर्ष “3054” - “सामान्य”

(क) “रेलवे सुरक्षा कार्य - रेलवे सुरक्षा कार्य के लिए बजट सहायता” - ₹5607.00 लाख।

(ख) “आरक्षित निधि को अंतरण - केन्द्रीय सड़क निधि को अंतरण” - ₹5608.00 लाख।

(गा) मुख्य शीर्ष “3466” - “विश्व बैंक” -

(क) “दक्षिण - दक्षिण अनुभव आदान-प्रदान न्यास निधि को अंशदान” - ₹238.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹225.24 लाख था।

(V) Under Major Head “3466” - “World Bank-Project under PPA” - saving of ₹1147.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1250.00 lakhs) was due to exchange rate variation and part implementation of the World Bank Projects under PPA.

(VI) Under Major Head “3475” - “Other Expenditure - Interest Equalisation support to EXIM Bank of India”-saving of ₹229.66 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12999.98 lakhs) was due to receipt of less claims from the Exim Bank of India.

(VII) Under Major Head “3605”-”Co-Operation with other countries- Technical aid to South and South-East Asia under the Colombo Plan”- saving of ₹258.63 lakhs (against the sanctioned provision of ₹845.00 lakhs) was due to transfer of Colombo Plan Scheme to Ministry of External Affairs.

2.(I) The above savings were partly (₹12504.01 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹4.00 lakhs under the following major heads:-

(A) Major Head “2052” - “Secretariat - Department of Economic Affairs” - ₹572.01 lakhs. Actual excess, however, was ₹540.22 lakhs.

(B) Major Head”3054” - “General” -

(a) “Railway Safety Work – Budget Support for Railway Safety Work” - ₹5607.00 lakhs.

(b) “Transfer to Reserve Fund- Transfer to Central Road Fund” - ₹5608.00 lakhs.

(C) Major Head “3466” - “World Bank”-

(a) “Contribution to South-South Experience Exchange Trust Fund (SEETF)” - ₹238.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹225.24 lakhs.

- (ख) “सांस्कृतिक विरासत और संधारणीय पर्यटन निधि” - ₹479.00 लाख।
- (b) “Cultural Heritage and Sustainable Tourism Fund (CHSTTF)” - ₹479.00 lakhs.
- (II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-
- (II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-
- (का) मुख्य शीर्ष “3075” - “अन्य - लाभांश राहत के लिए रेलवे को आर्थिक सहायता - सामरिक महत्व की रेल लाइनों के प्रचालन पर रेलवे को होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति” - ₹3437.72 लाख का अधिक व्यय (₹60000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सामरिक महत्व की रेल लाइनों पर होने वाले कार्यकारी व्यय के आधार पर उनके प्रचालन पर रेलवे को होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति के लिए रेलवे को आर्थिक सहायता के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।
- (A) Major Head “3075” - “Others - Subsidy to Railways towards dividend relief -Reimbursement of losses of Railways on operating strategic Railway lines” – excess of ₹3437.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹60000.00 lakhs) was due to requirement of additional fund for subsidy to Railways towards reimbursement of losses on operating strategic railways lines based on the working expenses on such lines.
- (खा) मुख्य शीर्ष “3475” -
- (B) Major Head “3475”-
- (क) “अंतर्राष्ट्रीय सहयोग - अफ्रीकी विकास बैंक के साथ तकनीकी सहयोग” - ₹1000.00 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) अफ्रीकी विकास बैंक के साथ तकनीकी सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाध्यता को पूरा करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।
- (a) “International Cooperation - Technical Co-operation with African Development Bank”- excess of ₹1000.00 lakhs (against nil provision) was due to requirement of additional funds towards to meet the International Obligation for technical co-operation with African Development Bank.
- (ख) “अन्य व्यय” -
- (b) “Other Expenditure”-
- (i) “भारतीय आर्थिक सेवा अधिकारियों का प्रशिक्षण” - ₹176.08 लाख का अधिक व्यय (₹561.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय आर्थिक सेवा अधिकारियों और परीक्षाधीनों के लिए वेतनों और उनके प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।
- (i) “Training of Indian Economic Service Officers”- excess of ₹176.08 lakhs (against the sanctioned provision of ₹561.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards salaries and training programmes for the Indian Economic Service Officers and Probationers.
- (ii) “एनआरआई बाण्डों के अंतर्गत विनिमय हानि” - ₹234.63 लाख का अधिक व्यय (₹50.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बाण्डधारकों द्वारा बाण्डों का अधिक मोचन किए जाने के कारण हुआ।
- (ii) “Exchange Loss under NRI Bonds” – excess of ₹234.63 lakhs (against the sanctioned provision of ₹50.00 lakhs) was due to more redemption of bonds by bond holders.
- (III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹55.25 लाख का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 5525 प्रतिशत था।
- (III) Under one head excess of ₹55.25 lakhs occurred constituting 5525 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (₹245167.45 लाख) अगस्त, 2010 और मार्च, 2011 में प्राप्त किए गए ₹1132716.00 लाख के पूरक अनुदान का 22 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 19 प्रतिशत थीं।

3. In the capital section of the grant, the overall savings (₹245167.45 lakhs) constituted 22 percent of the supplementary grants of ₹1132716.00 lakhs obtained in August, 2010 and March, 2011 and 19 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
				(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4046" मुद्रा, सिक्का ढलाई और टकसाल पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4046" Capital Outlay on Currency, Coinage and Mint			
मू.	O. 106320.00	146400.00	146342.12	-57.88
पू.	S. 1.00			
पु.	R. 40079.00			
मुख्य शीर्ष "5466" अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में निवेश	Major Head "5466" Investment in International Financial Institutions			
मू.	O. 29483.00	1157774.70	912771.26	-245003.44
पू.	S. 1132715.00			
पु.	R. -4423.30			
मुख्य शीर्ष "5475" अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5475" Capital Outlay on Other General Economic Services			
मू.	O. 48936.00	13312.00	13258.36	-53.64
पु.	R. -35624.00			

(I) ₹3.00 लाख का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष “5466” - “अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (प्रतिभूतियों में) - अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को अभिदान” के अंतर्गत ₹1.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹1132715.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹1132716.00 लाख कर दिया गया था, जो तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक के पास विद्यमान धारित राशि से एसडीआर के अंतरण और एसडीआर खरीदने के लिए इस नकद का उपयोग करते हुए एसडीआर की तदनु रूप पुनः पूर्ति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा न किए जाने के कारण ₹244454.11 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(III) मुख्य शीर्ष “5466” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई :-

(का) “एशियाई विकास बैंक में निवेश - एशियाई विकास बैंक को अभिदान” - ₹1633.53 लाख की बचत (₹21619.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विनिमय दर वैभिन्य के कारण हुई।

(खा) “अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (प्रतिभूतियों में) - अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संसाधनों को उधार पर देने के लिए भारत का अंशदान” - ₹6081.88 लाख की बचत (₹6366.60 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नोट क्रय करार के अंतर्गत प्रतिभूतियों पर ब्याज की कम अदायगियों के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष “5475” - “अन्य व्यय” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) “अवसंरचना विकास के लिए सहायता” - ₹35526.00 लाख की बचत (₹48026.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रायोजक प्राधिकरणों को कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(खा) “सार्वजनिक निजी भागीदारी बरकरार रखने के लिए क्रियाकलाप” - ₹127.06 लाख की बचत (₹210.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ क्रियाकलापों में विलंब होने तथा कार्यशाला आयोजित करने में मजबूरी के चलते और सार्वजनिक

(I) Provision of ₹3.00 lakhs remained wholly unutilised under three heads.

(II) Under Major Head “5466” - “International Monetary Fund (in Securities) - Subscription to International Monetary Fund” - the original provision of ₹1.00 lakhs was augmented to ₹1132716.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹1132715.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹244454.11 lakhs - due to transfer of SDRs from the existing holding with RBI and the corresponding replenishment of the SDR holding by using this cash to purchase SDRs was not done by Reserve Bank of India.

(III) Under Major Head “5466”- savings occurred under the following heads:-

(A) “Investment in the Asian Development Bank - Subscription to Asian Development Bank”- saving of ₹1633.53 lakhs (against the sanctioned provision of ₹21619.00 lakhs) was due to exchange rate variation.

(B) “International Monetary Fund (in Securities) - India’s Contribution towards lending Resources of IMF”- saving of ₹6081.88 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6366.60 lakhs) was due to less payments towards interest on Securities under Note Purchase Agreement.

(IV) Under Major Head “5475” - “Other Expenditure”- savings occurred under the following heads:-

(A) “Assistance for Infrastructure Development” - saving of ₹35526.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹48026.00 lakhs) was due to requirement of less funds by the sponsoring authorities.

(B) “Activities for maintaining Public Private Partnership” - saving of ₹127.06 lakhs (against the sanctioned provision of ₹210.00 lakhs) was due to delay in some activities for promoting PPPs and

निजी भागीदारियों को प्रोत्साहित करने संबंधी क्रियाकलापों के लिए कम संख्या में अनुमोदन किए जाने के कारण हुई।

constraints in organizing workshop and less number of approvals for activities promoting PPPs.

(V) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹83.19 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 28 प्रतिशत थी।

(V) Under one head saving of ₹83.19 lakhs occurred constituting 28 percent of the sanctioned provision.

4.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹40079.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष “4046” - “एसपीएमसीआईएल से सिक्कों की खरीद - सिक्के” के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹40021.12 लाख था।

4.(I) The above savings were partly (₹40079.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh under Major Head “4046” – “Purchase of Coins from SPMCIL – Coins”. Actual excess, however, was ₹40021.12 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष “5466” के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(II) Savings were also offset by excess under Major Head “5466”- under the following heads:-

(का) “अफ्रीकी विकास निधि - अफ्रीकी विकास निधि को अभिदान” - ₹2242.53 लाख का अधिक व्यय (₹1493.40 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(A) “African Development Fund - Subscription to African Development Fund”- excess of ₹2242.53 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1493.40 lakhs) ; and

(खा) “अफ्रीकी विकास बैंक - अफ्रीकी विकास बैंक को अभिदान” - ₹502.25 लाख का अधिक व्यय (₹1.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(B) “African Development Bank - Subscription to African Development Bank”- excess of ₹502.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1.00 lakh).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय अफ्रीकी विकास निधि/बैंक को अभिदान देने की अंतर्राष्ट्रीय बाध्यता को पूरा करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

Excess under the above two heads was due to requirement of additional funds to meet the international obligation for subscription to African Development Fund/Bank.